2479

हिमाचल प्रदेष सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub:-Diversion of 10.5068 hectare (instead of 11.87728 hacares) of forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd, for the construction of 400KV Transmission Line, within the jurisdiction of Ani Forest Division Luhri, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9.HPC487/2012 – CHA दिनांक 03-04-2013** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा 10.5068 hectare(instead of 11.87728 hacares) of forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd, for the construction of 400KV Transmission Line, within the jurisdiction of Ani Forest Division Luhri, Distt. Kullu,, Himachal Pradesh, को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 कम से कम वृक्ष/Saplings कटवायें जायेंगे जिनकी सख्या प्रस्ताव के अनुसार **तीन सौ नब्बे** वृक्षो और एक सौ बारह Saplings से अधिक नही होगी।

3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF-Juni-Kuri में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 40,51,688/–(चालीस लाख इकयावन हजार छः सौ अट्ठासी मात्र) की राशि से कुल 21.00 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि मे पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

4 An undertaking by the user agency to pay the additional NVP, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.

5 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।

6 मार्गाधिकार की चौडाई 46 मीटर से अधिक नही होगी।

7 प्रत्येक कंडक्टर के नींचे टैंशन सटरिंजिंग उपकरण लगाने के लिए 3 मीटर चौडी पट्टी में निकासी की अनुमति प्रदान की जायेगी, परन्तु सटरिंजिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जाएगा। कंडक्टर तथा पेडों के बीच का फासला कम से कम 5.5 मीटर होना चाहिए। कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाए रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेडों की कांट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमतिं से किया जाएगा। ट्रंसमिशन लाईन की मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों मुख्य रुप से औषधीय पौधों की प्लांटेशन प्रयोक्ता एजैंसी के खर्च पर की जाएगी।

8 वन वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्षाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

9 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेष /अनुदेष आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

9 उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

10 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum-Deputy Commissioner, District Chamba.

11 The conditions imposed by MoEF,GoI vide their letters dated 03.04.2013 should be complied with by all concerned in letter and sprit.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर इस स्वीकृति को स्थगित / रद्य किया जा सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

By Order
Principal Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated, Shimla-171001
the,... 8-4-13.

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 –A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of condition contained from Sr.No. 1-11 in the above order
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Distt, Kullu, Himachal Pradesh .
6. Power Grid Corporation of Kidia Ltd, Northern Region_II Transmission Line Officer Rampur, Village Rachali, P.O.Khanauri, Distt. Shimla,H.P.
7. CCF, Kullu /DFO Ani, Forest division Luhri, Distt. Kullu,H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.